प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 13.05.2026

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.03.2026 को वादी मुकदमा सब्बन अली पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम नरायनपुर बैजू, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्तगण 1. रज्जाक अली पुत्र हबीउल्ला, 2. रियाज पुत्र रज्जाक अली, 3. किसवर पुत्र अख्तर तथा 4. अख्तर पुत्र हबीउल्ला निवासीगण ग्राम नरायनपुर बैजू, थाना pुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की माता ऊजरातन तथा मौसी सुआला के साथ मारपीट, गाली-गलौज, ईंट-पत्थरों से प्रहार कर चोट पहुँचाने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोप लगाया गया था। वादी द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर थाना पुवायाँ पर **मु0अ0सं0-194/2026 धारा 109/110/125/115(2)/351(2)/358 बीएनएस** पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान वादी की माता ऊजरातन की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अभियोग में **धारा 105 बीएनएस** की वृद्धि की गयी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्य संकलन कर अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना पुवायाँ पर पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त अभियोग में अभियुक्त रज्जाक अली को दिनांक 10.04.2026 तथा अभियुक्त अख्तर पुत्र हबीउल्ला को दिनांक 26.04.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में आज दिनांक 13.05.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **मो0 रियाज अली पुत्र मो0 रज्जाक अली**, निवासी ग्राम नरायनपुर बैजू, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 26 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर मोहम्मदी रोड खुटार हाईवे फ्लाईओवर के नीचे से समय 13:51 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत समस्त आदेश-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 रियाज अली पुत्र मो0 रज्जाक अली निवासी ग्राम नारायणपुर बैजु थाना पुंवाया जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

मु0अ0स0 194/26 धारा 109,110,125,115(2),351(2),358 BNS थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

मोहम्मदी रोड खुटार हाइवे फ्लाईओवर के नीचे पुवायां थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर, दिनांक 13.05.2026, समय करीब 13.51 बजे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।
2. का0 2251 अक्षय बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।